परिशिष्ट - XII

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति द्वारा वचन पत्र, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, अर्थात 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति और लेखन में कठिनाई वाले व्यक्ति

मैं __________________________, एक _________________(दिव्यांगता/ स्थिति की प्रकृति) उम्मीदवार, जिला _________, ______________(राज्य का नाम) में _____________(केंद्र का नाम) में _____________ ________(परीक्षा का नाम) के लिए उपस्थित हो रहा/रही हूँ, जिसका अनुक्रमांक __________________है। मेरी अर्हता ____________है।

2. मैं एतदद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि _________________(स्क्राइब का नाम) उपर्युक्त परीक्षा में शामिल होने के लिए मेरे स्क्राइब के रूप में सेवा प्रदान करेंगे/करेंगी।

3. मैं एतद्द्वारा वचन देता/देती हूँ कि उसकी अर्हता ______________ है। यदि, बाद में यह पाया जाता है कि उसकी अर्हता अधोहस्ताक्षरी द्वारा किए गए घोषणा के अनुरूप नहीं है और मेरी अर्हता से अधिक है। मैं इस पद या प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री और उससे संबंधित दावों पर अपना अधिकार खो दूँगा/दूँगी।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)
(यदि उम्मीदवार अवयस्क है तो माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर)

स्थान:
दिनांक: